

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी:- लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.


प्रथम अपील संख्या 176/2022
महेश कुमार दूत पुत्र रामेश्वर लाल पी0टी0आई0, ग्राम कोलसिया, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनू पिन कोड 333042
बनाम
लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील
आदेश

दिनांक 09.06.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 19.05.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 176/2022 पर दिनांक 19.05.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2022/2282-83 दिनांक 19.05.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ ने पत्रांक सू0अ0अ0/2022/758 दिनांक 07.07.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी का आरटीआई के तहत प्रार्थना पत्र इस कार्यालय को दिनांक 22.04.2022 को प्राप्त हुआ। प्रार्थी को सूचना के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक सू0अ0अ0/22/700 दिनांक 04.05.2022 के द्वारा सूचित कर दिया गया था। श्रीमान्जी आवेदनकर्ता द्वारा चाही गई सूचना लगभग 45 वर्ष पुरानी है। मुताबिक रिकार्ड अनुसार दिसम्बर 2020 तक की समस्त फ़ैसलशुदा पत्रावलियां जिला अभिलेखागार झुंझुनू में भिजवाई जा चुकी है। कार्यालय में रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने से सूचना नहीं दी जा सकती है। आवेदनकर्ता को समय पर सूचना के संबंध में अवगत करवा दिया गया था। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लो0सू0अ0 (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक सू0अ0अ0/2022/758 दिनांक 07.07.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी का आरटीआई के तहत प्रार्थना पत्र उनके कार्यालय को दिनांक 22.04.2022 को प्राप्त हुआ। प्रार्थी को सूचना के क्रम में उनके कार्यालय के पत्रांक सू0अ0अ0/22/700 दिनांक 04.05.2022 के द्वारा सूचित कर दिया गया था। आवेदनकर्ता द्वारा चाही गई सूचना लगभग 45 वर्ष पुरानी है। मुताबिक रिकार्ड अनुसार दिसम्बर 2020 तक की समस्त फ़ैसलशुदा पत्रावलियां जिला अभिलेखागार झुंझुनू में भिजवाई जा चुकी है। कार्यालय में रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने से सूचना नहीं दी जा सकती है। आवेदनकर्ता को समय पर सूचना के संबंध में अवगत करवा दिया गया था। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते हैं।

आदेश आज दिनांक 09.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(पीठासीन अधिकारी)
जिला कलक्टर झुंझुनू
जिला कलक्टर झुंझुनू